



प्रेस नोट

दिनांक- 20.11.2022

थाना मंगलपुर पुलिस टीम द्वारा 24 घन्टे के अन्दर हत्या के प्रयास के अभियोग में वांछित 05 नफर अभियुक्तगणों को गिरफ्तार किया गया ।

पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद कानपुर देहात के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में अपराध पर अंकुश लगाये जाने व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्राधिकारी डेरापुर के कुशल नेतृत्व में थाना मंगलपुर पुलिस टीम द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग में वांछित 05 नफर अभियुक्तगणों को गिरफ्तार किया गया है।

विदित हो कि दिनांक 19.11.2022 को वादी राकेश कुमार उर्फ बिल्लू गुप्ता पुत्र स्व० रामकुमार गुप्ता निवासी वार्ड नं० 014 अम्बेडकर नगर झींझक थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात द्वारा तहरीर दी गई कि कुछ लोगों द्वारा जमीन व मकान के विवाद को लेकर एक राय होकर मेरे घर में घुस कर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुये लूटपाट की व मेरे पुत्र सौम्य गुप्ता के पेट में गोली मारकर घायल कर दिया, प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मंगलपुर पर मु०अ०सं०-424/22 धारा- 147/148/149/323/307/427/504/506 व 34 भा०द०वि० बनाम- 07 नामजद अभियुक्तगण पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में 02 अन्य अभियुक्त 1.सोनू उर्फ आनंद कुमार शुक्ला पुत्र प्रदीप कुमार शुक्ला निवासी दसहरा थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात 2. वंदन तिवारी पुत्र रामनरेश तिवारी नि० बादशाहपुर छोंक थाना सहायल जनपद औरैया का नाम प्रकाश में आया। मुखबिर खास की सूचना पर 05 नफर अभियुक्तगणों 1. वंदन तिवारी पुत्र पुत्र रामनरेश तिवारी निवासी बादशाहपुर छोंक थाना सहायल जनपद औरैया 2. रिषभ द्विवेदी पुत्र राकेश द्विवेदी निवासी अकबरपुर जनपद कानपुर देहात 3.मंगू पुत्र ओमकार तिवारी निवासी जौरा जिला औरैया 4. सोनू उर्फ आनंद कुमार शुक्ला पुत्र प्रदीप कुमार शुक्ला निवासी दसहरा थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात व 5.01 नफर अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त वंदन तिवारी उपरोक्त के गिरफ्तारी के दौरान घटना में प्रयुक्त 01 अदद तमंचा 12 बोर, 02 अदद जिन्दा कारतूस व 02 अदद खोखा कारतूस बरामद हुए जिसके आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/25/27 शस्त्र अधिनियम की बढोत्तरी की गयी। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगणों को माननीय न्यायालय के समक्ष नियमानुसार प्रस्तुत किया जायेगा।

पूछताछ विवरण- अभियुक्तगणों द्वारा बताया गया कि राकेश कुमार गुप्ता ने संजीव शुक्ला से कम रूपयों में मकान का बैनामा करा लिया गया था और कई बार मांगने पर भी पूरे पैसे नहीं दिये। दिनांक 18.11.22 को हम सभी ने एक राय होकर राकेश गुप्ता व उसके पुत्र को डरा धमकाकर मकान खाली कराने के लिये कहा तो वह

अकडने लगे, इसी बात पर वंदन तिवारी ने तमंचे से राकेश कुमार गुप्ता के पुत्र सौम्य गुप्ता को गोली मार दी। जिससे वह घायल होकर वहीं गिर गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगणों का नाम पता-

1. वंदन तिवारी पुत्र पुत्र रामनरेश तिवारी निवासी बादशाहपुर छोंक थाना सहायल जनपद औरैया
2. रिषभ द्विवेदी पुत्र राकेश द्विवेदी निवासी शंकरदयालगंज अकबरपुर थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात
3. मंगू उर्फ कमलाकान्त पुत्र ओमकार तिवारी निवासी जौरा थाना कोतवाली औरैया जिला औरैया
4. सोनू उर्फ आनंद कुमार शुक्ला पुत्र प्रदीप कुमार शुक्ला निवासी दसहरा थाना रसूलाबाद जनपद का0दे0
5. 01 नफर अभियुक्ता

बरामदगी-

अभियुक्त वंदन तिवारी उपरोक्त से घटना मे प्रयुक्त- 01 अदद तमंचा 12 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस व 02 अदद खोखा कारतूस

अभियुक्तगणों का आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0स0-424/22 धारा 147/148/149/323/307/427/504/506 व 34 भा0द0वि0 व 3/25/27 शस्त्र अधिनियम थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. निरीक्षक अपराध संजेश कुमार थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात
2. उ0नि0 डोरीलाल थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात
3. हे0का0 04 आलोक तिवारी थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात
4. का0 595 विमल पाजाण थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात
5. म0का0 1233 सावित्री यादव थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात

मीडिया सेल
जनपद कानपुर देहात।